

1. दस्तावेज के अनुच्छेद विवरण दर्ज करें।
  2. चेष्टाएँ-पत्र की दस्ता लगाव की जाए और भूगतान को अवश्य दर्ज करें। उम्मत के उम्मत के बारे में जारीकरें है।
  3. पट्टे की दस्ता 12 पट्टे की अवधि और आर्थिक संपत्ति को प्रमाणित करने काले किसी अन्य सञ्चयहार और अवधार की पता नहीं चलता है।
- मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि इस दृढ़ संव्यवहारी और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने काले किसी अन्य सञ्चयहार और अवधार की पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): *Satyendra Narayan Joshi.*

(पठनाम):

तलासी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र जारी किया गया है:

(हस्ताक्षर): *मुजुम्हें दूर्लभ*

(चालानम्):

कार्यालय: ओ०८ निवेदन वार्षिकाम, मुख्यमंत्रीपरिषद् के  
तारीख: २८-५-२०१५

हिचक्की-इस पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे संबोधन द्वारा प्रमाणित संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि भागीदार द्वारा दिखाया गया विवरण इसके विवरण के अनुसार संपत्ति को विवरण द्वारा दिखाया गया है तो वैसो दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (दृष्टिकोण) इस प्रमाण-पत्र में सौमित्र न किये जायेंगे।

१. दृष्टिकोण अधिकारी-वर्ष वर्ष २०१५ का अधीक्षण जो ज्ञानक (जाहाज) और अनुकूलमालिका (इन्स्ट्रुमेंट) के प्रकाशनी दस्तावा खाली ही अवधार रखाए गए नियमित रूप से जारी रखा जाता है उस अधिकारी-वर्ष के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जारीत है उनके तलासी न्याय विवरणों होने; विविहत घोर का भूगतान करने पर जाहाज और जाहाज दृष्टिकोण द्वारा पाये गये रखाए जायेंगे।

२. निम्न नीचे दर्शाया वाले होते हैं।

३. (उ) उपर दृष्टिकोण वर्षान्त मासमाने वाले वर्ष के अपर्याप्त तलासी न्याय की है, और नीकि उसके बाद दूर्दृष्टि गये संव्यवहारों और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विवरण अधीक्षण द्वारा दूर्दृष्टि गये विवरण संव्यवहारों और अवधारों की दृष्टि के लिए किसी तरह विवरण न होगा जिसमें उक्त संवर्तन का प्रभाव न होता है।

कार्यालय, विवरण वर्षान्त वार्षिकाम, न्याय

दृष्टिकोण

३२५

तिथि: २८-५-१५

आधिकारिक अधीक्षण वर्षान्त पत्र दृष्टिकोण

जाहाज वर्षान्त वार्षिक अधीक्षण दृष्टिकोण वर्षान्त वार्षिक अधीक्षण दृष्टिकोण

का उपरांत यह सत्यापन १० दिनांक २५-५-२०१५ के प्रसंग में अप्रसारित को जाता है।

*निवेदन वर्षान्त वार्षिकाम,*